# <u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : **मनोज गोयल**
<u>अध्यक्ष</u>

प्रकरण कमांक निगरानी 4128–तीन / 15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 49 / अपील / 12–13.

---

आलोक कुमार पिता स्व. श्री धर्मचन्द डागा
निवासी मेन मार्केट ब्यावरा
तहसील ब्यावरा जिला राजगढ ..............आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

1– श्रीमती काशी बाई बेवा स्व. श्री वल्देव दांगी
2– राधेश्याम पुत्र स्व. श्री वल्देव दांगी
निवासीगण ग्राम पड़ोनिया
तहसील ब्यारा जिला राजगढ़
3– श्रीमती प्रेमबाई पिता स्व. श्री वल्देव दांगी
पत्नी शिवजी राम दांगी निवासी ग्राम मोई
तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़
4– श्रीमती चन्दाबाई पुत्री स्व. श्री वल्देव दांगी
निवासी ग्राम भगवतीपुर
तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़
5– म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर, जिला राजगगढ़ ..............अनावेदकगण

---

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक,अनावेदक क. 1 लगायत 4
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 5

---

:: आ दे श ::

**(आज दिनांक 4/8/16 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—11—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम तलावड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 147 रकबा 2.782 हेक्टेयर अनावेदिका कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 के पिता स्व. श्री बल्देव दांगी एवं उसके भाई के नाम राजस्व अभिलेखों पर दर्ज थी । उक्त भूमि में से रकबा 0.253 हेक्टेयर भूमि आवेदक द्वारा कय की जाकर डायवर्सन हेतु अनुविभागीय अधिकारी, ब्यावरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 92/अ—2/2000—01 में पारित आदेश दिनांक 13—2—2001 से प्रश्नाधीन भूमि का डायवर्सन स्वीकृत किया गया । तत्पश्चात लगभग 10 वर्ष उपरांत सर्वे कमांक 147/1/7 रकबा 0.253 हेक्टेयर के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा डायवर्सन आदेश दिनांक 13—3—2001 में अनियमितता पाते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को संहिता की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति ली जाकर दिनांक 20—4—2012 आदेश पारित कर पूर्व पारित आदेश दिनांक 13—2—2001 में कोई अनियमितता नहीं पाते हुए आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, राजगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 14—9—2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30—11—2015 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए निर्देश दिये गये कि उभय पक्ष बटान हेतु तहसीलदार के समक्ष पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृत बल्देव के वारिसानों को बिना अभिलेख पर लिये आदेश किया गया है । इस आधार पर

कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किये जाने से उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–4–2012 को आदेश पारित कर पूर्व में पारित आदेश दिनांक 13–4–2001 को स्थिर रखा गया है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन में पारित आदेश दिनांक 20–4–2012 के विरूद्ध अपील ग्राह्य योग्य नहीं थी । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा नक्शा तरमीम के विषय में गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि सर्वे कमांक 147 पूर्व से ही बटांकित है, जबकि वास्तव में नक्शा तरमीम त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई है, इसलिए आवेदक द्वारा नक्शे में तरमीम कराई गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति आवेदक को सुनवाई किये बिना दी गई है, इस बिन्दु पर विचार नहीं किये जाने से अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा रकबा 0.253 हेक्टेयर भूमि कय की गई है, और उसका व्यपवर्तन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया गया है, उनके द्वारा स्वामित्व की भूमियों की सीमाओं का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से अनावेदकगण प्रभावित नहीं होते हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि स्व. बल्देव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष देवचन्द एवं संजीव डागा को आधार बनाते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, इसलिए वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे, परन्तु उन्हें पक्षकार नहीं बनाने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्व. बल्देव द्वारा प्रकरण कमांक 92/अ–2/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 13–2–2001 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में अन्य प्रकरणों में पारित आदेश पर विचार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 6 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान पक्षकार की मृत्यु होने पर प्रकरण उप समित नहीं होगा ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय में आदेश अपीलनीय अथवा पुनरीक्षणीय होने के संबंध में आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है, अतः इस न्यायालय में उक्त आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है ।

(3) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं कर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए, जिससे पक्षकार को वास्तविक न्याय प्राप्त हो ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया था, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

(5) आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि अन्य व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि अनावेदकगण जिस व्यक्ति से व्यथित होंगे, उसी व्यक्ति को पक्षकार बनायेंगे ।

(6) अभिलेख से स्पष्ट है कि उक्त खसरा कमांक 147 के नक्शे में कोई बटान अंकित नहीं किये गये हैं, और पंजीकृत विकय पत्र में भी चतुःसीमा नहीं दर्शाई गई है, ऐसी स्थिति में किसी क्षेत्र विशेष का अन्य सह भूस्वामियों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर व्यपवर्तन नहीं किया जा सकता है ।

तर्कों के समर्थन में 1998 आर.एन. 136 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रकरण कमांक 6/ए–13/09–10 द्वारा आदेश दिनांक 21–7–2010 को अपनी भूमि का नक्शा तरमीम कराया गया है, जिसमें अनावेदकगण पक्षकार थे, और उक्त तरमीम आदेश को अनावेदकगण द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, जिस कारण वह अंतिम हो गया है । तथा उसी के साथ आवेदक की भूमि की चतुर्सीमा का बिन्दु भी अन्तिम हो गया है। ऐसी स्थिति में व्यपर्तन के प्रकरण में दिनांक 21–7–2010 के आदेश में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि वह अंतिम हो गया है । व्यपर्तन के प्रकरण में केवल प्रश्नाधीन भूमि के व्यपर्तन पर ही विचार किया जा सकता है, अन्य कोई बिन्दु विचारणीय नहीं रहता

है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस समय आवेदक द्वारा नक्शा तरमीम कराया गया था, उस समय कब्जे के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है, अतः व्यपवर्तन के प्रकरण में अन्य आदेश को निरस्त करने का कोई कारण नहीं है । जहां तक व्यपवर्तन की कार्यवाही का प्रश्न है, उसमें ऐसा कोई बिन्दु नहीं है जिसके आधार पर वह कार्यवाही निरस्त की जा सके । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर तथा तहसीलदार के आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिंर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2015 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

**(मनोज गोयल)**
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर